अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की त्रैमासिक पत्रिका

कामकाजी महिला

वर्ष: 9 अंक: 2 जुलाई – सितम्बर 2020 ई संस्करण

मजदूर–किसान कार्यवाही दिवस

05 सितम्बर 2020

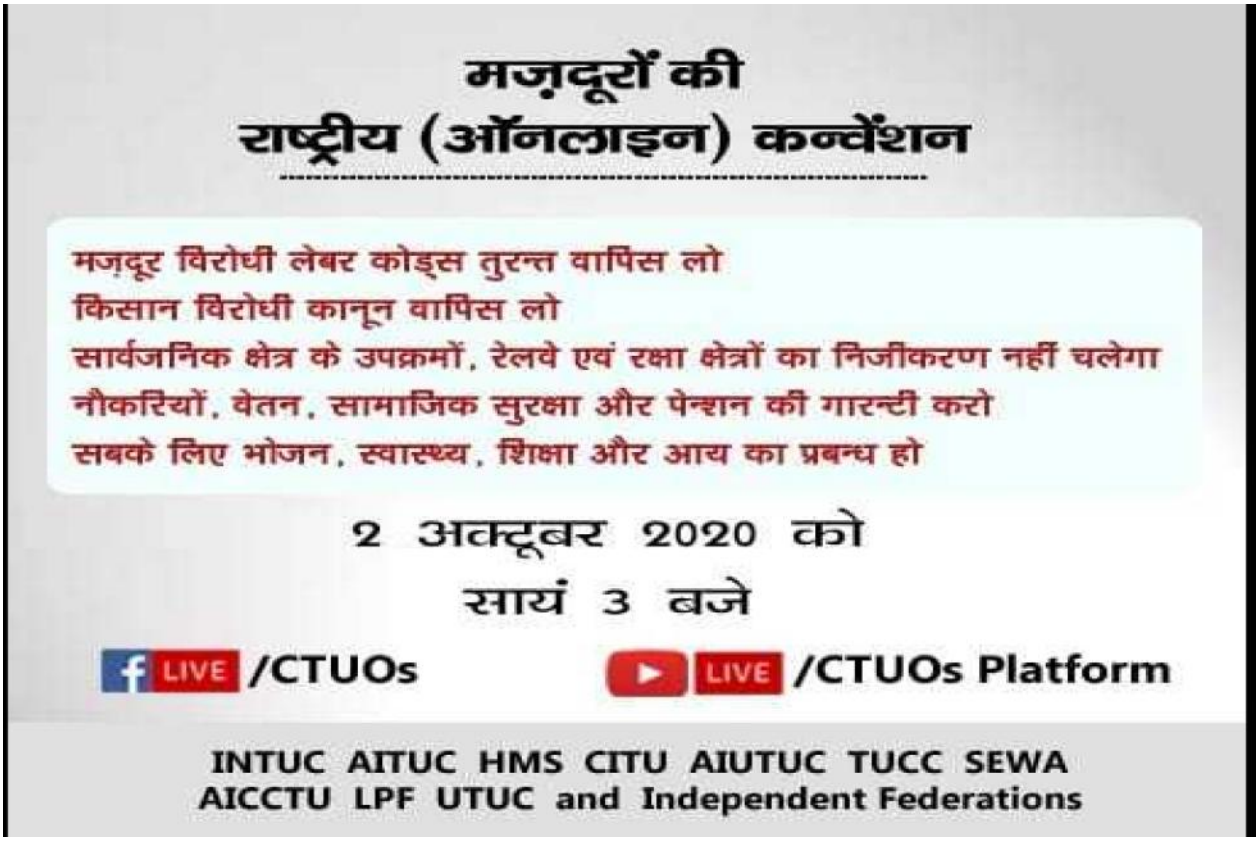

संपादक मंडल

संपादिका
ए आर सिंधु

सदस्य
ऊषा रानी
अन्जू मैनी
कमला

एनईपी के विरोध में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अभियान

1&10 vDVcj 2020

कोविद –19 और लॉकडाउन ने कुपोषण और भूख के कारण बच्चों की मृत्यु के खतरे को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, एनईपी 2020 में प्रस्ताव बचपन की देखभाल और शिक्षा तथा आईसीडीएस की अवधारणा के लिए हानिकारक होंगे। इस पृष्ठभूमि में, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स (आइफा) ने 1 से 10 अक्टूबर, 2020 तक बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार पर 'आंगनवाड़ियां बचाओ' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के खिलाफ डब्ल्यूसीडी मंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए 27–30 अगस्त 2020 तक परियोजना स्तर की सामूहिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।

भीतर के पृष्ठों पर

मजदूर किसान कार्रवाई दिवस 5 सितम्बर 2020 4

कृषि व्यापार को असीमित आजादी, किसानों को गुलामी 6

आंदोलन की खबरें 8

एनईपी 2020 का विरोध 13

योजना श्रमिकों की हड़ताल 16

आइफा का ललकार दिवस 21

प्रतिरोध से हड़ताल की ओर

भारत की मेहनतकश जनता, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों के नेतृत्व में प्रतिरोध से अवज्ञा की ओर बढ़ रही है, मोदी सरकार देष की सारी सम्पत्ति और जनता के सारे जनवादी अधिकार अम्बानी, अडानी जैसे कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हैं।

पिछले कुछ महीनों में कोविड महामारी और लॉक डाउन का अनुभव, भाजपा– आर एस एस सरकार के असली चेहरे को जनता के सामने लाया है। इस सरकार ने कॉर्पोरेट हित के लिए देश के जनवाद की धज्जियाँ उड़ाकर, सांसदों को भी अपने राय रखने का मौका नहीं देते हुए, तीन कृषि कानून और साथ ही तीन (एक पहले ही पास था) लेबर कोड़ भी पास किए।

मजदूरों को आठ घंटे काम, न्यूनतम वेतन और यूनियन बनाने और हड़ताल करने का हक छीन लिया गया और किसानों का जमीन का हक, अपने सुविधानुसार खेती करने और उसके लिए पूरा दाम मिलने का अधिकार नहीं रहा, तो संविधान और जनवाद का नीव ही नहीं रहेगी।

अब जनता के पास इसके खिलाफ लामबंद होने और आंदोलन तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

इसके लिए, सीटू द्वारा पदाधिकारी बैठक में अपने 16वें अधिवेषन के निर्णयानुसार अपनी रणनीति तैयार की गई है –

पहला – सीटू के अपने कार्यक्रमों और आंदोलनों को मजबूत करें और अपने सांगठनिक ताकत बढाएं। इसके लिए सभी यूनियन, फेडरेशन अपने क्षेत्र में आन्दोलनों को बढाएं। और अपनी विभिन्न यूनियनों के तालमेल मजबूत करें, खास तौर ग्रामीण इलाकों में।

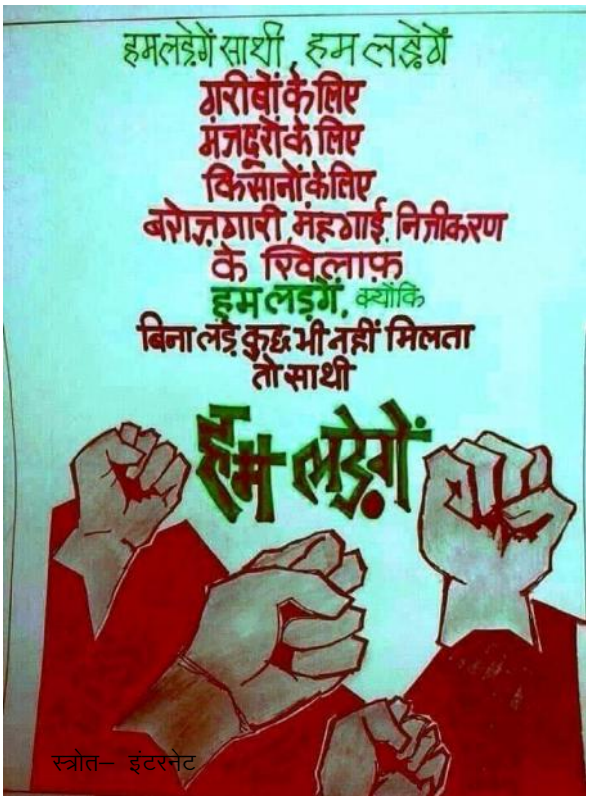

स्त्रोत– इंटरनेट

दूसरा – मजदूर संगठनों के सांझा मंच के कार्यक्रमों के जरिये, हर स्तर पर ट्रेड यूनियन एकता मजबूत करें और मजदूर एकता की ओर ले जाये।

तीसरा – मजदूर–किसान एकता को मजबूत बनाये। सीटू, किसानसभा और खेतिहर मजदूर यूनियन के लगातार हो रहे कार्यक्रम और आंदोलन को और ज़्यादा तेजी से बढाएं और ज़मीनी स्तर तक एकता का निर्माण और स्थानीय आंदोलन खड़ा करे।

इस कार्य को करते हुए अपने आन्दोलनों को नयी ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन (ऑनलाइन) करने का निर्णय लिया है। इस कन्वेंशन में आम हड़ताल का निर्णय लेंगे जो समय की जरुरत है।

मजदूर-किसान कार्रवाही दिवस 5 सितम्बर 2020

5 सितम्बर 2018 को दिल्ली में हुई *ऐतिहासिक मजदूर–किसान संघर्ष रैली* की दूसरी सालगिरह 5 सितम्बर 2020 को पूरे देश में *मजदूरों–किसानों कार्रवाही दिवस* के रुप में मनाया गया, जो मुख्य रुप से संसद के समक्ष पेश किसान विरोधी बिल के खिलाफ तथा अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर था।

कोविड–19 महामारी के चलते, बड़ी सभाओं पर पाबंदी, शारीरिक गतिविधियां प्रतिबंधित व सीमित होने के बावजूद भी कार्रवाही दिवस स्थानीय स्तरों पर, हजारों जगहों पर, लाखों लोगों के द्वारा धरने, रैलियां, प्रदर्शन, आयोजित करते हुए और पदयात्राओं में भाग लेते हुए व सरकार और स्थानीय प्रशासन से माँग करते हुए मनाया गया।

4 लाख से अधिक मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों व कुछ अन्य तबकों ने भी कार्रवाही दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत की। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, कर्नाटक व केरल, पूर्व में बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व राजस्थान सहित 16 राज्यों व अंडमान निकोबार द्वीपों केन्द्र शासित प्रदेशों के 283 जिलों में 13,019 स्थानों पर हिस्सा लिया।

संयुक्त आंदोलन की निरंतरता

सीटू –एआईकेएस–एआईएडब्ल्यूयू ने पहले के संयुक्त आंदोलनों जैसे 9 अगस्त का सत्याग्रह/जेल भरो व उससे पहले 23 जुलाई का प्रदर्शन आदि की निरंतरता को कायम रखते हुए, देश के मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों का का आह्वान किया कि *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* को संयुक्त रुप मनाया जाये। इन सभी को मोदी सरकार की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक मोर्चों पर विनाशकारी नीतियों, साम्प्रदायिक विभाजनकारी एजेंडा, सत्तावादी शासन में शक्तियों का केन्द्रीयकरण और विभाजनकारी कूटनीति के कारण जनता में बढते गुस्से के कारण व्यापक प्रतिक्रिया मिली।

माँगें

आन्दोलन की माँगें हैं– सभी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेष रुप से कोविड–19 का निःशुल्क परीक्षण और इलाज, मुफ्त राशन, 6 महीने तक प्रति माह 7,500 रुपए की आर्थिक मदद, मनरेगा के तहत 600 रुपए प्रति दिन वेतन के साथ 200 दिन का काम अथवा बेरोजगारी भत्ता और शहरी रोजगार गारन्टी; आवश्यक वस्तुओं, कृषि व्यापार, बिजली संशोधन अधिनियम, ई.आई.ए., एन.ई.पी. 2020 (नई शिक्षा नीति), राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, श्रम कानूनों में परिवर्तन व उनके निलंबन पर अध्यादेश/कार्यकारी आदेशों के खिलाफ और सार्वजनिक उद्यमों व सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ आदि हैं।

राज्यवार रिपोर्टें

केरल में कोविड नियमों के तहत आयोजित कार्यक्रम, 48,539 मजदूरों की भागीदारी के साथ 6,014 केंद्रों पर हुआ है। कर्नाटक में 25 जिलों में 256 स्थानों पर 1.5 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की।

तमिलनाडु में 5 सितंबर को 22 जिलों में 434 केंद्रों पर 10,225 लोगों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम 35 जिलों में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु में कोविड–19 के भारी बढ़ोत्तरी के कारण मजदूरों और किसानों की भागीदारी बहुत कम थी। सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू की एक राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक जिलेवार ऐसी संयुक्त बैठकों के बाद आयोजित की गई थी। तैयारी अभियान के दौरान 78,500 पर्चे वितरित किए गए और 4,000 पोस्टर चिपकाए गए।

तेलंगाना में मजदूर–किसान एकता दिवस को 1,189 केंद्रों पर मनाया गया, 34 जिलों के 288 मंडलों में 14,040 लोग शामिल हुए। सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू के नेताओं की बैठक हैदराबाद स्थित राज्य केंद्र में 23 अगस्त को आयोजित की गई और इसके बाद जिलों में संयुक्त ऑनलाइन बैठकें और 10 जिलों में ऑनलाइन सार्वजनिक बैठकें हुईं।

आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम 95 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें 21,565 लोगों की भागीदारी थी। राज्य केंद्र से एक ऑनलाइन सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी। 25 गोल मेज चर्चाएं आयोजित की गईं और 248 प्रेस वक्तव्य जारी किए गए। 6,400 पर्चे छपे और 44,300 एसएमएस के माध्यम से वितरित और प्रसारित किए गए। 3410 तख्तियों को भौतिक रूप से प्रदर्शित किया गया और 33,463 व्यक्तियों को ऑनलाइन भेजा गया।

पश्चिम बंगाल में सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्लूयू के 5 सितंबर के संयुक्त कार्यक्रम में 16 सूत्री माँगों के आधार पर ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, शहर और लगभग 950 स्थानों पर

जुलूस, रैलियां, धरने, रोड जाम, दो पहिया वाहनों के जुलूस आयोजित किए गए थे। राज्य के सभी जिलों में लगभग 1 लाख व्यक्तियों की भागीदारी के साथ जिला केंद्रों पर आयोजित किये गये। स्थानीय माँगों को भी केंद्रीय माँगों के साथ जोड़ा गया और प्रतिरोध एवं अवज्ञा से सामना करने के लिए संदेश के साथ आतंक प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किए गए।

सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू की तैयारी सम्बन्धी संयुक्त बैठकें सभी जिलों में आयोजित की गईं।

झारखण्ड में 5 सितंबर मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस राज्य के 18 जिलों में 336 ब्लॉकों में 3306 किसानों और 1012 मजदूरों सहित 4,318 व्यक्तियों द्वारा शामिल किया गया था।

कोल्हान क्षेत्र में, ट्रेड यूनियनों द्वारा गोलमुरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किसान सभा और ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से बोरहाम ब्लॉक के काकीडीह गाँव में, और ट्रेड यूनियनों द्वारा साकची में पदयात्राएं आयोजित करना। धनबाद में संघ कार्यालय के सामने जगजीवन नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

बिहार में 5 सितंबर *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* संयुक्त रूप से सीटू–एआईकेएस–एआईएडब्ल्यूयू द्वारा झंडे और बैनरों के साथ रैलियों और प्रदर्शनों के तौर पर आयोजित किया गया था, जिनका समापन प्रभावशाली सार्वजनिक सभाओं के रुप में हुआ। इनका आयोजन 35 जिलों के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के 365 स्थानों पर व्यापक भागीदारी और उसकी जनता द्वारा सराहना की गई थी। राज्य भर में 17 स्थानों पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया।

सीटू बैनर के तहत लगभग 73,000 मजदूरों ने और लगभग इतनी ही संख्या में कृषक जनता ने किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले भाग लिया। इस कार्यक्रम में अधिकांश स्थानों पर बैंक, बीमा और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी बहुत सराहनीय रही।

मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के एक स्थान पर सीटू द्वारा 25 प्रतिभागियों के साथ कार्रवाही दिवस का आयोजन किया गया था; गुना में 80 सदस्यों ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा; कोयला क्षेत्रों में मीरा खदान में 250 और बारटेरी खदान में 400 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। रीवा, भिंड और अनूपगढ़ में किसान सभा ने लगभग 100 किसान भागीदारी के साथ प्रदर्शन किया।

महाराष्ट्र में *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* में, राज्य भर के 21 जिलों की 67 तहसीलों में 719 केंद्रों पर एडवा, एसएफआई, डीवाईएफआई और एएआरएम के सदस्यों के साथ 24,227 मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों ने भाग लिया। लामबन्दी के संदर्भ में, पहले 6 जिलों में कार्रवाही में शिरकत करने वालों की संख्या सोलापुर–12,212; ठाणे–पालघर–5,641; नागपुर–1204; नासिक–1,100; मुम्बई–687 और अमरावती–647 थी।

उत्तर प्रदेश में राज्य में 5 सितंबर को *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* का आयोजन किया गया जिसमें सीटू सदस्यों की भागीदारी कानपुर में 94; इलाहाबाद में 54; जौनपुर में 95; मुरादाबाद में 15; बलिया में 75; बरेली में 15; गोंडा में 55 और लखनऊ में 65 थी। कार्यक्रम वाराणसी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और सोनभद्र जिलों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के सदस्य भी लगभग सभी जगहों पर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

उत्तराखंड में देहरादून में सीटू कार्यालय से रैली निकाली गई थी और मजदूरों एवं किसानों की माँगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया।

हिमाचल प्रदेश *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* पर, शिमला, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा और चम्बा के 7 जिलों में 29 स्थानों पर श्रमिकों और किसानों के संयुक्त प्रदर्शनों का मंचन किया गया, जिसमें 1,356 लोग शामिल हुए।

राजस्थान में *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* का आयोजन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, कोटा, झुंझुनू और भीलवाड़ा के 7 जिलों में 28 स्थानों पर और 2,699 कुल प्रतिभागियों के साथ रोडवेज यूनियन द्वारा किया गया था। इसमें हनुमानगढ़ जिले के 62 गाँवों को शामिल करने वाले 9 स्थानों पर 1,496 व्यक्तियों की उल्लेखनीय भागीदारी थी।

पंजाब में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेशों और लॉकडाउन के बावजूद, राज्य के सभी 22 जिलों में *मजदूर–किसान कार्रवाही दिवस* के संयुक्त आह्वान को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। जत्था मार्च के दौरान 2,000 से अधिक गाँव और सभी औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया गया। राज्य स्तरीय मनरेगा मजदूर यूनियन, लाल झंडा पंजाब भट्टा मजदूर यूनियन, लाल झंडा पेंडु चौकीदार यूनियन, आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, भारत निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन आदि के 15,000 मजदूरों की भागीदारी के साथ गाँवों को कवर किया गया।

मानसा जिले में पुलिस ने लाठी चार्ज करके सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष और कई स्थानीय नेताओं को घायल कर दिया और उन्हें झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार भी किया।

कृषि व्यापार को असीमित आजादी, किसानों को गुलामी

नरेन्द्र मोदीनीत भाजपा सरकार ने 5 जून, 2020 को फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन) कानून 2020, फारमर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइम एश्युरेंस एंड फार्म सर्विसेज कानून 2020 तथा एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) कानून 2020, तीन अध्यादेश पारित किये। ये प्रधानमंत्री द्वारा घोषित तथाकथित '' ''आत्मनिर्भर भारत'' पैकेज का हिस्सा हैं। भाजपा सरकार का दावा है कि इनसे किसानों को आजादी मिलेगी जो अब अपना उत्पाद' किसी को किसी भी कीमत पर' बेच सकेंगे। लेकिन, वास्तविकता में ये अध्यादेश कारपोरेट/ कृषि व्यापारियों को किसी भी माल को किसी भी किसान से किसी भी कीमत पर खरीद लेने की पूरी आजादी देते हैं।

इन अध्यादेशों का मतलब है कृषि में भूमि प्रबंधन, खरीद व व्यापार में बड़े भू–स्वामियों तथा विदेशी एजेंसियों समेत कारपोरेटों के पक्ष में पूरी तरह से बदलाव सुनिश्चित करना। इनसे अतंतः किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, लाभकारी दामों पर कृषि उत्पाद की खरीद तथा राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम(ई सी ए) जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने में मदद करता है विशेषकर संकट के समय। ई सी ए में किये गये संशोधन ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज व आलू जैसी आवश्यक वस्तुएं को नियन्त्रण से मुक्त कर दिया है। संशोधन के अनुसार, प्रसंस्करणकर्ता, एग्रीगेटर व बड़े व्यापारी कितनी भी मात्रा में फसलों की खरीद, भंडारण, बिक्री व निर्यात कर सकते हैं ऐसे दामों पर जो नवउदारवादी बाजार द्वारा तय किये जायेंगे और ऐसा युद्ध, प्राकृतिक आपदा व अकाल के समय भी किया जा सकेगा! यह और कुछ नहीं बल्कि कालाबाजारी व जमाखोरी को कानूनी जामा पहनाना है।

कृषि उत्पाद व्यापार को पूरी तरह से नियन्त्रण मुक्त करने के नाम पर, फारमर्स प्रोडयूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन) आर्डिनेस, 2020 कृषि उत्पादों की बिना बोली व संबंधित अथारिटी के नियमन के खरीद की इजाजत देता है। वास्तव में इसका अर्थ होगा कि कृषि उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से, भूस्वामी कारपोरेट व्यापारियों व गरीब किसानों के बीच गैर बराबर द्विपक्षीय लेने–देन के माध्यम से होगी। ऐसे गैर बराबर संबंध में कोई भी अंदाज लगा सकता है कि समय पर भुगतान समेत अध्यादेश में जो उचित ट्रेड प्रैक्टिस की बात की गई है वह कितनी लागू होगी। न तो यह अध्यादेश और न ही फारमर्स (एस्मपारमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज आर्डिनेंस 2020 में लाभकारी मूल्य तो को छोड ही दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक का कोई प्रावधान नहीं है जिसका वादा भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में किया था। इसमें ए पी एम सी द्वारा अदा किये जाने वाले मूल्य तक की गारंटी नहीं की गई है। गौरतलब है कि कृषि संकट का कारण लाभकारी मूल्य की कमी है, बिक्री संबंधी अड़चनें नहीं।

इन अध्यादेशों का मकसद भाजपा की ''एक राष्ट्र, एक बाजार'' योजना को लाने का है जिसका वास्तविक अर्थ है देश के संघीय ढांचे को तहस–नहस कर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सत्ता का पूरी तरह से केन्द्रीकरण ।

ये अध्यादेश, राज्य की सीमाओं व कर की बाधाओं से रहित कृषि व्यापार को एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था में बदलने के लिए हैं। ये राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति (ए पी एम सी) एक्ट को निष्प्रभावी करते हैं, जबकि कृषि राज्य का विषय है। ये राज्यों व यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी दरकिनार करते हुए एक मॉनिटरिंग व कंसीलिएशन मेकेनिज्म भी तैयार करते हैं। इनमें प्रावधान है कि '' किसी भी सिविल कोर्ट को किसी

मामले या कार्रवाई को सुनने का अधिकार नहीं होगा। '' इसका अर्थ है कि बड़े व्यापारी के साथ किसी विवाद के होने पर किसान न्यायालय की शरण में नहीं जा सकेगा। हमारे संविधान में, एक कानून न्यायपालिका को नियंत्रित तो कर सकता है, उसका निषेध नहीं कर सकता। इसलिए अध्यादेश गैरकानूनी व असंवैधानिक है।

मोदी सरकार द्वारा भेजे गये और कई राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जा रहे मॉडल कॉंट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट ने अपने दायरे से खाद्य चीजों को नियन्त्रण मुक्त कर दिया है। इसके माध्यम से, बड़े भूस्वामियों व कारपोरेट का नापाक गठजोड़ देश में कहीं भी बड़ी व्यापारिक कंपनियों की जरुरत के हिसाब से उत्पादन के लिए किसानों को सीधे हाँक सकता है। इससे भू उपयोग, खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ठेका कृषि के साथ ही बड़ी कारपोरेट कंपनियों को कृषि भूमि की लीज को मजबूत करना व बढ़ावा देना है। इससे किसान भूमिहीन होंगे और कृषि का कारपोरेटीकरण सुनिश्चित होगा। यह और कुछ नहीं किसानों द्वारा खेती को तबाह कर उसकी जगह कारपोरेट व ठेका कृषि को स्थापित करना है।

किसान संगठनों व केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इन विनाशकारी व राष्ट्र विरोधी अध्यादेशों को समाप्त करने की माँग की है।

आर एस एस जो ' स्वदेशी' विकास मॉडल का बड़ा शोर मचाती है इस बारे में बिल्कुल चुप हैं। ना ही वामपंथी दलों को छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल ने हमारी कृषि व किसानों पर इस खतरनाक व विनाशकारी हमले के विरुद्ध आवाज उठायी है। केवल वामपंथ ही है जो मजबूती से इन किसान विरोधी जन–विरोधी अध्यादेशों का विरोध कर रहा है।

हमारे किसानों व जनता की खाद्य सुरक्षा पर हो रहे हमलों के समय मजदूर वर्ग तमाशबीन नहीं रह सकता है। वर्गीय रुप से सचेत ट्रेड यूनियन आंदोलन को, नवउदारवाद के लिए समर्पित निरंकुश भाजपा सरकार के इन कदमों का अवश्य ही एकजुट होकर विरोध करना होगा। याद करना होगा कि किसानों व मजदूरों की एकता ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लाये गये खतरनाक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को परास्त किया था। अब हम फिर से ऐसा कर सकते हैं।

मोदी सरकार अगर सोचती है कि वह लॉकडाऊन का, जब मजदूर व किसान संकट में हैं और आ जा नहीं सकते हैं, फायदा इन अध्यादेशों को थोपने के लिए उठा सकती है तो वह गलती पर है। यह और कुछ नहीं बल्कि देशी विदेशी कारपोरेटों के मुनाफे को अधिकतम करने का उनकी दौलत को बढ़ाने के लिए संकट ग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध एक सरकार द्वारा खड़ा किया गया छलावा है। हमें अवश्य ही इसे गलत साबित करना होगा।

दुनिया में कोई ताकत किसी भी समाज में धन पैदा करने वाले मजदूरों, किसानों व खेतमजदूरों की संयुक्त ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती है। सीटू, किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन इस एकता को मजबूत करने तथा नीतियों को बदल देने तक इस संयुक्त संघर्ष को प्रतिरोध के उच्च स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

.....संघर्ष जारी है!

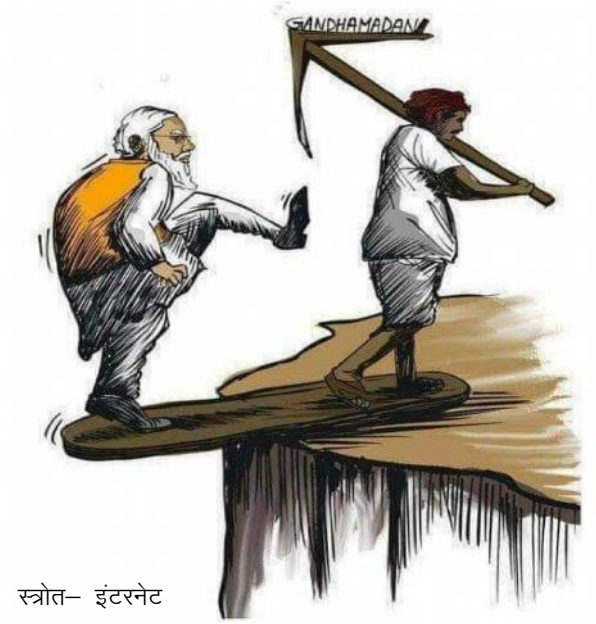

स्त्रोत– इंटरनेट

हरियाणा आशा वर्कर्स का संघर्ष

हरियाणा में बीस हजार आशा वर्कर्स, अपनी निम्न मांगों के लिए आशा वर्कर्स यूनियन, हरियाणा के बैनर तले 7 अगस्त से 20 दिनों के लिए हड़ताल पर चली गईं

- कोविड –19 काम के लिए पी पी ई किट दी जाए
- राज्य सरकार द्वारा वेतन का अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रति माह (राज्य सरकार के साथ 2014 में समझौते के अनुसार), दिया जाए तथा कोविड –19 कार्य के लिए (केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 1000 /– का 50 प्रतिशत) करीब 500 /–रू दिया जाए
- नियमित काम के लिए राज्य सरकार द्वारा मासिक 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाए जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के आम चुनाव से पहले रु 2000 /– मासिक प्रोत्साहन राशि बढाने के कारण बंद कर दिया गया था।
- न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और पेंशन के साथ– साथ आशा वर्कर्स को नियमित किया जाए।

कोरोना महामारी से लड़ने में आशा वर्कर्स सराहनीय कार्य कर रही हैं। वे यह जांचने के लिए घर–घर जाती हैं कि क्या किसी में कोविड –19 लक्षण विकसित हुए हैं, यदि आवश्यक हो तो टेस्ट की सुविधा कराना, संपर्क साधना, संक्रमित का क्वारंटीन सुनिश्चित करना, उन घरों की पहचान करना, जहां संक्रमण फैल गया है, अगर किसी व्यक्ति का कोई यात्रा इतिहास है तो उसकी जांच करना, लोगों को संक्रमण से बचने के लिए सावधानियों के बारे में जागरूक करना और अन्य संबंधित कार्य। महामारी तेजी से फैल रही है और आशा वर्कर्स महामारी से लड़ने में अथक प्रयास कर रही हैं। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि सरकार इनके लिए तालियां तो बजवा रही है लेकिन इन कोरोना वारियर्स को साधारण सुरक्षा गियर जैसे मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर आदि भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं।

आशा वर्कर्स यूनियन, हरियाणा ने कोविड ड्यूटी के लिए 4000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि की मांग की। इस मांग को लेकर यूनियन तीन बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी है। मुख्यमंत्री ने महामारी के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन आशा वर्कर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय, केंद्र सरकार द्वारा 2019 के आम चुनाव से पहले मासिक प्रोत्साहन राशि रु 2000/– बढायी गयी थी लेकिन इसके बहाने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान पर रोक लगा दी गई थी।

कोरोना संबंधित कार्यों के अलावा, आशा वर्कर्स अपनी ड्यूटी के अनुसार कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि का भी सर्वे कर रही हैं। इसके अलावा इन्हें आयुष मंत्रालय से उपलब्ध कराई गई दवाएं लोगों को वितरित करने का काम सौंपा गया है। इन्हें कोरोना संक्रमित घरों में दूध, अंडे और अन्य आहार सामग्री भी वितरित करने का काम भी सौंपा गया है। वर्तमान महामारी के दौरान, इनके काम में तेजी से वृद्धि हुई है। स्थानीय प्रशासन भी अतिरिक्त काम दे रहा है, जैसे – 'मंडियों में स्क्रीनिंग, पुलिस को बाहर से आने वाले लोगों की पहचान करने, राशन कार्डों का सर्वे और अन्य कामों के लिए इनकी सहायता ले रहा है। आशा वर्कर्स के सामने समस्या यह है कि वे एक ही समय में कोविड–कार्य करें, अपने रोजमर्रा के काम जिनकी संख्या करीब 40 है या स्थानीय प्रशासन द्वारा सौंपे गए सभी अतिरिक्त कार्य करें?

अब, आशा वर्कर्स को उनके सर्वेक्षण कार्य के लिए विकसित एक विशेष ऐप पर काम करने के लिए कहा गया है लेकिन इस तरह के काम के लिए कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा 2018

में निरंतर तीखे संघर्ष से सरकार ने प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को एक एंड्रॉइड फोन प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने पर मजबूर किया गया था लेकिन यह आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा अब आशा वर्कर्स के मौजूदा फोन नंबरों को स्थगित कर दिया गया है और एक जिओ 4–जी सिम उन्हें सौंप दी गई है। आशा वर्कर्स के फोन 4–जी संगत नहीं हैं, इसलिए वे अपने पुराने फोन के माध्यम से बातचीत करने या नए सिम कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

वे लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अपने परिवारजनों को संक्रमित करने के डर में जी रही हैं। वे असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि अपनी ड्यूटी के दौरान इन्हें लोगों की दुश्मनी का भी सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर, उनके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई है, यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों पर भी उन लोगों द्वारा हमला किया गया है जो कोरोना सक्रंमित पाए गए या क्वारंटीन होना नहीं चाहते थे।

ऐसे में बार–बार प्रयास करने के बावजूद जब आशा वर्कर्स को अधिकारियों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उनके पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

उन्होंने प्रत्येक जिले में –कुल 78 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वास्तव में हरियाणा राज्य की लगभग सभी 20,000 आशा वर्कर्स ने हड़ताल और विरोध कार्रवाहियों में भाग लिया है।

21 अगस्त को हजारों आशा वर्कर्स ने अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री के घर तक रोश मार्च किया। लेकिन मंत्री महोदय पीछे के रास्ते से निकल गए और वर्कर्स से बात तक नहीं की। लेकिन आशा वर्कर्स ने हार न मानते हुए अपना संघर्ष जारी रखा और 26 अगस्त को उन्होंने विधानसभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया। उन्हें सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और 7 विधायक का कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ओएसडी ने देर शाम उनसे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि जब मुख्यमंत्री काम पर लौटेंगे तो उनकी मांगों को सकारात्मक तौर पर विचार किया जाएगा। आशा वर्कर्स द्वारा उस समय अपनी हड़ताल स्थगित कर दी गई। हालाँकि, प्रत्येक दिन कुछ घंटों के लिए, सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर उनका विरोध और धरना जारी है। आशा वर्कर्स के साहस और ज़स्बे को सलाम कि – जब पुलिस ने विधानसभा में उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए गिरफ्तारी का डर दिखाया तो उन्होंने कहा *"हम डरते नहीं हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम बसों में नहीं चढ़ेंगे। आप हमें उठाओ और ले जाओ।"* पुलिस फिर पीछे हट गई लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए मुख्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।

हरियाणा आशा वर्कर्स और सहायिकाओं का संघर्ष, उन मजदूरों की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते हैं। और यह निश्चित रूप से सफल होकर ही रहेगा।

आशा कार्यकर्ताओं का पंजाब में संघर्ष

कुछ टीवी चैनलों में आशा वर्कर्स और अन्य कोरोना योद्धाओं के खिलाफ किए गए झूठे प्रचार के विरोध में आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स यूनियन (सीटू) के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने पूरे पंजाब में प्रदर्शन किए गए। इन टीवी चैनल्स ने आरोप लगाया था कि आशा वर्कर्स जबरन कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में ले जा रही हैं, और वे उन डॉक्टरों की मिलीभगत में शामिल हैं, जो उन मरीजों की किडनी व शरीर के अन्य अंगों को बेच रहे हैं। इन चैनलों ने यह भी आरोप लगाया है कि आशा वर्कर्स को 50 हजार रुपये प्रति मरीज की दर से कोरोना के मरीजों को लाने के लिए रिश्वत दी जा रही है।

आशा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नरों को ज्ञापन दिया और उक्त टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सरकार की निश्क्रियता के मुद्दे के साथ, यूनियन ने राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की बुनियादी मांगों को उठाया। यूनियन ने ड्यूटी करने वाले आशा वर्कर्स के लिए सुरक्षा और बीमा कवर की मांग की। यूनियन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम और अन्य सभी श्रम अधिनियम के तहत आशा वर्करों और अन्य स्कीम वर्करों के लिए कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की।

रोपड़, शहीद भगत सिंह नगर, अमृतसर, पटियाला, जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, मोगा, मुक्तसर साहिब और मोहाली में रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। रैलियों को कामरेड रघुनाथ सिंह महासचिव, महान सिंह रोड़ी, सुच्चा सिंह अजनाला वित्त सचिव, यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रानी, महासचिव सुखजीत कौर और सीमा रोपड़ ने संबोधित किया।

आशा वर्कर्स ने मांग दिवस मनाया

अपनी सुरक्षा और सभी के स्वास्थ्य के लिए

हरियाणा और पंजाब

पश्चिम बंगाल और केरल

केन्द्र

आशा वर्कर्स के आन्दोलन के साथ एकजुटता में नई दिल्ली में सीटू केंद्र में सीटू के राष्ट्रीय नेता

vkWy bf.M;k dkvkMhZus'ku desVh vkQ vk'kk odZlZ lhVw dh vkºoku ij(dkfon&19 ds f[kykQ yM+kbZ esa gtkjksa vk'kk odZlZ vkSj QSflfYVsVlZ vkSj vU; ÝaVykbu LokLF; dk;ZdrkZ 25 tqu dks tEew&d'ehj] iatkc] gfj;k.kk] e/; çns'k] egkjk"Vª] vle] vkaèkz izns'k] xqtjkr] vk/kz izns'k vkSj dbZ vU; jkT;ksa esa viuh 14 lw=h; ekaxksa dks ysdj ckgj vk x,A mudh Áeq[k ekaxsa Fkha dkfon lacaf/kr dk;Z ds fy, fo'ks"k HkÙkk] lqj{kk vkSj chek doj] vkSj cgrj vkSj lkoZHkkSfed LokLF; lsokvksa ds fy,] mUgksaus ih,ih lwV] ekLd vkfn ds le{k çn'kZu djrs gq, LFkkuh; vf/kdkfj;ksa dks Kkiu lkSais vkSj mu Kkiuksa dh Áfr jkT;ksa o dsaæ ds LokLF; ea=;ksa dks Hkh Hkstk A viuh dke ds dfBu vkSj tksf[ke Hkjs LoHkko ds ckotwn] dkfon buQsD'ku dks lqj{kk.k djus vkSj lqj{kk mik;ksa ds ckjs esa turk dks ekxZn'kZu djus ds fy, ?kj&?kj tk jgh g(mUgsa vko';d lqj{kkRed lkeku Hkh ugha fn, x, gS] dbZ lØfer gks x, gSa vkSj mues ls dbZ dh eR;q gks xbZ gSA

मिडे-डे-मिल मजदूरों ने माँग दिवस मनाया

सीटू फेडरेशन मिड–डे–मील वर्कर्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर; कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम सहित (भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद), हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और यू.पी. आदि अधिकांश राज्यों में 26 जून को हजारों मिड डे मील (एमडीएम) मजदूरों ने माँग दिवस मनाया। जिसके लिए प्रदर्शनकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गये और राज्य एवं केंद्र के शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रियों को कोविद लॉकडाउन अवधि के दौरान के वेतन के रूप में रु० 7500 सहित उनकी 8 सूत्रीय माँगों के अनुसरण के लिए भेजा गया। सुरक्षा उपायों और बीमा कवरेज के साथ कोविद केंद्रों में काम के दौरान रु० 600 प्रतिदिन के भत्ता भुगतान;नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन आदि माँगें हैं। वर्तमान में रु० 1000 प्रतिमाह का भत्ता प्रत्येक को, वह भी केवल 10 महीने के लिए, लगभग 27 लाख एमडीएम मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, कई राज्यों में वे कोविद–19 लॉकडाउन के दौरान आश्रय स्थलों और अलगाव केंद्रों में ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जिनके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है, न तो कोई सुरक्षा किट और ना ही सुरक्षा सामग्री दी गयी और ना ही बीमा कवरेज। उनमें से कई संक्रमित हो गए और कुछ कोविद केंद्रों में संक्रमण के कारण मर भी गए।

रेलवे निजीकरण का विरोध करें

2 जुलाई को एक बयान में, सीटू ने मोदी सरकार को भारतीय रेलवे के ड्राइवरों और गार्डों द्वारा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने के लिए 109 जोड़ी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए विदेशी और घरेलू कॉर्पोरेट्स को आमंत्रित करने के लिए आर.एफ.क्यू. (रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन) जारी करने के लिए मोदी सरकार की निंदा की। अन्य कर्मचारी निजी ऑपरेटरों के होंगे, जो गाड़ियों के लिए खरीद, संचालन और रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। मोदी सरकार भारतीय रेल, भारत के गौरव और इसकी बहुमूल्य सम्पदा को बिक्री पर लगा रही है। सरकार ने इस देश विरोधी नीति को तेजी से ट्रैक पर लाने के लिए लॉकडाउन अवधि ा को चुना है। पहले से ही भाजपा सरकार ने रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक कार्यों और समर्पित माल लाइनों के निर्माण और रखरखाव में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के नाम पर इसने रेलवे स्टेशनों के साथ–साथ कॉरपोरेट्स को अपनी बड़ी जमीनें सौंपना शुरू कर दिया है। जनता को परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के बजाय निजी खिलाड़ियों का मकसद मुनाफे को अधिकतम करना होगा। रेलवे परिवहन का लाभ उठाने के बजाय, अधिकांश जनता रेलवे के अनुचित किराए के भारी बोझ के अधीन हो जाएगी। 30,000 करोड़ रुपये के निवेश और रोजगार सृजन के सरकार के दावे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन राजस्व उत्पादक मार्गों पर भारतीय रेलवे को हो ने वाली राजस्व की हानि के कारण और उच्च गति वाली ट्रेनें उक्त काल्पनिक आंकड़ों को बेअसर करने वाली अधि ाक होंगी। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों के निजीकरण, इसकी कार्यशालाओं और रखरखाव इकाइयों आदि के कारण रोजगार का नुकसान निजी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रोजगार से कई गुना अधिक होगा। अधि ाकांश नौकरियां, जो बनाई जाएंगी, अनिश्चित रोजगार होंगी, न कि स्थायी वेतन और सामाजिक सुरक्षा के साथ। सीटू ने प्रमुख रेलवे कर्मचारियों की यूनियनों से भाजपा सरकार के इस जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी कदम के प्रतिरोध और अवज्ञा के मजबूत संघर्ष के लिए पहल करने का आह्वान किया। कोयला मजदूरों ने पहले से ही 2–4 जुलाई को बड़े पैमाने पर और 3 दिनों की मुकम्मल हड़ताल के माध्यम से कोयला क्षेत्र में निजीकरण की चाल के खिलाफ इस तरह की अवज्ञा और प्रतिरोध का रास्ता दिखाया है। प्रतिरक्षा कर्मचारी प्रतिरक्षा क्षेत्र के निजीकरण का विरोध और अवहेलना करने के लिए तैयार हैं, 99.9 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपने हड़ताल बैलट में हड़ताल पर जाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। सीटू ने पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूर वर्ग और जनता से आह्वान किया कि वे देशी–विदेशी दोनों तरह के मुनाफे के भूखे कॉरपोरेट्स को लाभ कमाने के लिए भारतीय रेलवे के निजीकरण और बिक्री के इस कदम के खिलाफ शक्तिशाली प्रतिरोध में शामिल हों।

11]000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आन्दोलन

हालांकि कोविद महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी, हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य भर में कोविद महामारी को कवर करने वाले 11,000 सफाई कर्मचारियों के 4 महीने के वेतन और वार्षिक पोशाक भत्ते में कटौती की है। वेतन में इस कटौती के खिलाफ और वेतन वृद्धि के बारे में मुख्यमंत्री के पहले लिखित आश्वासन को लागू करने की माँग पर और सेवा से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर, हजारों सफाई कर्मियों ने 24 अगस्त को राज्य भर के 19 जिलों में उप–मंडल कार्यालयों पर घेराव किया, जिसे सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद हटा दिया गया। अगले दिन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला से मुलाकात की, सरकार ने सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 15 दिनों का समय माँगा और 15 दिनों के बाद मीटिंग तय करने का आश्वासन दिया।

2007 में, 'स्वयंसेवकों' के रूप में भर्ती, 11000 सफाई कर्मचारी, जो कि सभी दलित हैं, को सीटू द्वारा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा में संगठित किया गया और 2009 में शुरू होने वाले शक्तिशाली राज्यव्यापी आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए, उनकी सेवा और कामकाजी स्थितियों में काफी सुधार हुआ है।

शुरुआत में ग्राम पंचायतों द्वारा मानदेय के रूप में रु० 3,525 का भुगतान किया जा रहा था। उच्च जाति और प्रभावशाली पंचायत प्रमुखों ने इन असहाय सफाई कर्मचारियों को अपने घरों और खेतों में मुफ्त काम के लिए मजबूर किया। 2013 में आंदोलन के कारण बीडीपीओ कार्यालय से मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। बीजेपी के सत्ता में आते ही, उसने वेतन भुगतान के काम को पंचायतों को वापस कर दिया, जो कि अगले साल, मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन सहित आंदोलन के दबाव में वापस ले लिया गया और 2019 में वार्षिक पोशाक भत्ते के लिए मानदेय रु० 1,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में ईसीसीई

ईसीसीई, आईसीडीएस और 'आंगनवाड़ियों'' की अवधारणा की समाप्ति - एनईपी 2020 का विरोध करो

मोदी कैबिनेट द्वारा अपनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा प्रणाली के निगमीकरण, व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है।

एनईपी का पूरी तरह केंद्रीयकरण करके सत्तावादी शासन के नवउदारवादी एजेंडे के अनुरूप बनाया गया है। हमारे राष्ट्र की विविधता को शामिल करते हुए शिक्षा प्रणाली की अवधारणा को समवर्ती सूची में शामिल करने की परिकल्पना इस नीति में पूरी तरह से नकारात्मक है। यह नव उदारवादी कोरपोरेट ऐजेंडे के अनुरूप है जिसमें शिक्षा को एक वस्तु के रूप में रखकर श्रम शक्ति / कौशल को ऐजेंडे की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उपयोग करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा और इस योजना के पूरक में, इस दस्तावेज में 'भारतीय मूल्यों', परंपराओं संस्कृति आदि के नाम पर प्रतिगामी आरएसएस हिंदुत्व विचारधारा को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दस्तावेज़ पूरी तरह वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगतता का विरोध करता है। यह जाति और लिंग उत्पीड़न पर आधारित 'पारंपरिक' मूल्य प्रणाली पर आधारित है।

एनईपी में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

सरकार अभियान चला रही है कि एनईपी 2020, ईसीसीई के तहत आंगनवाड़ियों की भूमिका को मान्यता देता है, और इसने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के एक वर्ग के बीच भ्रम पैदा कर दिया है कि उन्हें प्री स्कूल के शिक्षकों के रूप में नियमित करने का एक मौका है। नीति को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि यह नीति लागू की जाती है, तो यह बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की अवधारणा का अंत होगा जबकि ईसीसीई में पोषण, स्वास्थ्य के साथ बच्चे के समग्र विकास का एक समग्र दृष्टिकोण है। दस्तावेज के अनुसार, हालांकि ईसीईसी कहता है, यह एक ही रॉट मेमोराइजेशन / अंग्रेजी माध्यम आधारित प्री–स्कूल या किंडर गार्डन पूरी तरह से औपचारिक स्कूल प्रणाली से जुड़ा होगा।

3–6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं

एनईपी –2019, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 3–6 साल के बच्चों को शामिल करने के बारे में बहुत मुखर रहा था। लेकिन एनईपी –2020 ने विचार को छोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक अधिकार की प्रतिबद्धता से पीछे हट रही है क्योंकि इसमें अस्पष्ट आश्वासनों के साथ कहा गया है कि ''3 से 18 वर्ष तक सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें। (3.1)'' स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में बात करते समय, (3.2) यह प्रवासी कामगारों के बच्चों और सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन और रिटेंशन सुनिश्चित करने क बजाय अन्य ड्रॉप–आउट के बच्चों के लिए ''..... नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केंद्र'' निर्धारित करता है। इसलिए, इस नीति के अनुसार कोई गारंटी, शुल्क और अनिवार्य ईसीसीई शिक्षा नहीं होगी।

मौजूदा ईसीसीई नीति का कोई उल्लेख नहीं है

एनईपी–2020 में 2013 में अधिसूचित सरकार की ईसीसीई नीति का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए गए ईसीसीई प्रदान करने के बारे में उल्लेख नहीं है। इसमें आंगनवाड़ियों में शुरू की गई एक नई अवधारणा या प्रणाली का उल्लेख है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए गए ईसीसीई को वैज्ञानिक तरीके से समग्र दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया है।

एनईपी–2020 में, एनसीईआरटी द्वारा 13.8 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3–6 वर्ष की आयु के लगभग 4 करोड़ बच्चों को दिए गए मौजूदा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन का कोई उल्लेख नहीं है। नीति में ईसीसीईडी के तहत पिछले 45 सालों से निभाई जा

रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की भूमिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है।

बाल वाटिका

हालाँकि दस्तावेज का कहना है कि आंगनवाड़ियों को मजबूत करने के बारे में बालवाटिका की एक अवधारणा है, जो दस्तावेज में बहुत स्पष्ट नहीं है।

यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक ''प्रारंभिक कक्षा'' या ''बालवाटिका'' (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई–प्रशिक्षित शिक्षक होगा।

जबकि ईसीसीई बच्चे के समग्र विकास और उसकी स्कूल की तैयारी के लिए है जिसके लिए शिक्षकों को योग्य होना चाहिए, यह 'योग्य शिक्षकों' के एक और समूह के साथ एक 'औपचारिक प्री–स्कूल' के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रस्तावित 'बालवाटिका' पूरी तरह से अनावश्यक हैं और मौजूदा प्री–स्कूल / किंडरगार्टन को वैध बनाने के लिए लाए गए हैं।

यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

ईसीसीई में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए कार्यकर्ता

दस्तावेज में लंबी अवधि के लिए ईसीसीई शिक्षकों का कैडर होने के बारे में कहा गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या होगा– क्या उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक 'माना जाएगा और उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं।

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि सभी आंगनवाड़ियों को स्कूल प्रणाली से एकीकृत किया जाए। अगर हम इसे 'बालवाटिका' की अवधारणा के साथ पढ़ते हैं, तो यह समझा जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ बालवाटिका द्वारा बदल दिया जाएगा और वर्कर्स व हैल्पर्स तस्वीर से पूरी तरह गायब हो जाएंगी।

स्कूल की तत्परता और कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता पर अधिक ज़ोर दिया गया

ईसीसीई 2019 में प्री–स्कूल के सिस्टम में रॉट मेमोराइजेशन (दोहराकर याद करवाना) पर आधारित समस्याओं के बारे में बात की गई था। लेकिन यह नीति इस मुद्दे पर चुप है। बल्कि इसमें स्कूल की तत्परता 'और कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता पर अधिक जोर दिया गया है और इसके लिए एक मिशन बनने जा रहा है।

कुपोषण और पूरक पोषण

दस्तावेज में सिर्फ कुपोषण के बारे में बताया गया है, जबकि हमारे देश में, हमारे आधे बच्चे अल्पपोषित, वजन में कम, कमज़ोर और खून की कमी से ग्रसित हैं और यह देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

आईसीडीएस और मिड डे मील के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दस्तावेज़ कहता हैं, "बच्चे जब अल्पपोषित या अस्वस्थ होते हैं, तो बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) को स्वस्थ भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह के घंटे संज्ञानात्मक रूप से अधिक मांग वाले विषयों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उत्पादक हो सकते हैं और इसलिए इन घंटों को मध्याह्न भोजन के अलावा एक सरल लेकिन स्फूर्तिदायक नाश्ता प्रदान करके लिया जा सकता है।''

कर्मचारियों को उचित भुगतान और पर्याप्त फंड के साथ आईसीडीएस और एमडीएमएस को मजबूत करने के बजाय, परामर्शदाताओं और सामुदायिक भागीदारी का परिचय, निजीकरण के अलावा और कुछ नही है।

चाइल्डकेअर, क्रेच और सहायिकाओं की भूमिका की अनदेखी

हालाँकि 0–3 आयु के बच्चों के बारे में एक टिप्पणी है कि दस्तावेज 0–3 के ईसीईसी के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा है।

शिक्षण के अलावा चाइल्डकैअर की आवश्यकताएं और ईसीसीई में सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। ईसीसीई में सहायिकाओं की भूमिका के लिए मान्यता होनी चाहिए। दस्तावेज में स्कूल के तहत सभी आंगनवाड़ियों को एक क्लस्टर में लाने पर भी जोर दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने आंगनवाड़ियों को एक साथ स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। यह ''आंगन'' वाड़ियों की अवधारणा अर्थात् 1000 की आबादी पर किसी आंगन में ईसीसीई केंद्र जिसका घरों के साथ घनिष्ठ संबंध है, के विरूद्ध है।

पीपीपी – प्राइवेट–परोपकारी पार्टनरशिप

पूर्व विद्यालयों की स्थापना से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षण, पाठ्यपुस्तकों की तैयारी आदि नीति निजी परोपकारी एजेंसियों को बढ़ावा देती है। यह कॉर्पोरेट और आरएसएस के नेतृत्व वाले संस्थान होंगे।

दस्तावेज़ के प्रत्येक और हर सैक्शन में पीपीपी के लिए प्रस्ताव है, इस बार निजी – परोपकारी साझेदारी। यह साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार अपने नागरिकों को सार्वभौमिक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। नीति के अनुसार, प्री स्कूलों की स्थापना से लेकर उच्च शिक्षा संस्थान, शिक्षण, पाठ्यपुस्तकें तैयार करना आदि नीति, निजी परोपकारी एजेंसियों को बढ़ावा देती है। शिक्षा के हर क्षेत्र को कॉर्पोरेट और आरएसएस के नेतृत्व वाले संस्थानों को सौंपा जाएगा।

बजट आवंटन पर मौन

दस्तावेज शिक्षा के लिए जीडीपी के 6 प्रतिशत की वकालत कर रहा है, लेकिन उसके लिए आवश्यक बजट आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है! निजी परोपकारी साझेदारी पर जोर यह स्पष्ट करता है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत दस्तावेज का उल्लेख सरकारी खर्च के बारे में नहीं है।

आंगनवाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। कॉर्पोरेट भागीदारी और समझौतों के साथ साथ निरंतर बजट कटौती से यह स्पष्ट है कि आंगनवाड़ियों का प्री–स्कूल / ईसीसीई घटक औपचारिक स्कूल प्रणाली का हिस्सा होगा जो पहले से ही निजीकरण से गुजर रहा है।

मांगें

- शिक्षा का केंद्रीयकरण, निगमीकरण, और सांप्रदायिकरण को प्रोत्साहन देने वाली नई शिक्षा नीति को वापस लो।
- प्री–स्कूल को पूरी तरह से औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली से जोड़कर ईसीसीई की अवधारणा को कमजोर न किया जाए।
- ईसीसीई नीति को मजबूत करो और ईसीसीई के अधिकार के लिए अलग कानून बनाओ जिसके तहत आंगनवाडियों को इसकी नोडल एजेंसी बनाओ
- ईसीसीई को केवल समग्र दृष्टिकोण वाले आंगनवाड़ियों या आंगनवाड़ी मॉडल ईसीसीई केंद्रों के माध्यम से ही लागू किया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए (अभिभावकों पर जुर्माना/दंड लगाए बिना)
- सरकारी स्कूलों में कोई प्री–स्कूल न हो (स्कूलों में केवल आंगनवाड़ी हो, कलस्टर नहीं), या स्टैंड अलोन प्री स्कूल (स्वतंत्र प्री स्कूल) की अनुमति न दी जाए।
- निजी प्री–प्राइमरी स्कूलों के कड़े नियमन हों/ इन्हें आंगनवाड़ी मॉडल में परिवर्तित किया जाए और साथ ही साथ फीस (कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए) और शिक्षकों, सहायकों और अन्य कर्मचारियों की कामकाजी स्थिति के भी कड़े नियम हों।
- दस्तावेज के अनुसार "आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च–गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / शिक्षकों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। दो साल के भीतर प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक अच्छी तरह से हवादार, अच्छी तरह से डिजाइन की गई, बाल–सुलभ और समृद्ध शिक्षा के साथ अच्छी तरह से निर्मित इमारत हो जिसके लिए उचित बजट आवंटन हो।
- पर्याप्त कर्मचारियों के साथ आंगनवाड़ियों को –आंगनवाड़ी सह क्रेच के रूप में विकसित किया जाए।
- ईसीसीई में आंगनवाड़ी सहायिकाओं/ हैल्पर्स की भूमिका की मान्यता होनी चाहिए और उनके प्रशिक्षण और ईसीसीई केंद्रों में शामिल करने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।
- आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स को सभी लाभों के साथ सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए।

योजना श्रमिकों की अखिल भारतीय हड़ताल

ए आर सिंधु

देश भर के स्कीम वर्कर्स ने 7–8 अगस्त, 2020 को दो दिन की हड़ताल की। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, बुनियदी सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे– नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम), समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), मिड डे मील योजना (एमडीएम) और सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), में काम करने वाले लाखों स्कीम वर्कर्स ने – असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में हड़ताल की। ।

अधिकारियों द्वारा नौकरी से निकालने और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की धमकी के बावजूद, योजना श्रमिक, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, विशेषकर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स इन धमकियों को धता बताते हुए सड़कों पर उतर आए। कई राज्यों में, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले ठेका कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। कुछ राज्यों में जहां कोविड की स्थिति गंभीर है, वहां आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काले बैज पहनकर ड्यूटी की।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फैडरेशनों से संबद्धित योजना कर्मियों यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसे सभी क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का समर्थन मिला। यह स्वागत योग्य है कि कई स्थानों पर, इन श्रमिकों द्वारा दी जा रही सेवाओं के महत्व को पहचानते हुए, लाभार्थियों और परिवार के सदस्यों ने भी हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त की और धरना/प्रदर्शनों में शामिल हुए।

देश में बहुत गंभीर स्थिति है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों विशेषकर आशा, एनएचएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जान दांव पर लगी है, ऐसी स्थिति में सरकर के इनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने पर ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को 7–8 अगस्त 2020 को दो दिवसीय हड़ताल आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सरकार इन 'कोरोना योद्धाओं' को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दे रही है, जबकि उन्हें डोर–टू–डोर विज़िट और संक्रमित लोगों की निगरानी के काम सौंपे गए है। कितने ही आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स कोविड –19 ड्यूटी करते हुए अपनी जाने गंवा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा या बीमा नहीं मिला। सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण इनमें से सैकड़ों लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। स्कीम वर्कर्स के वेतन, जो कि बहुत मामूली राशि है, अधिकांश राज्यों में छह महीनों से लंबित हैं। मध्याह्न भोजन कर्मियों को तो इस दौरान वेतन भी नहीं मिला जबकि उनकी वेतन राशि केवल 1,000 रु प्रतिमाह है। इसलिए हड़ताल की मुख्य मांगों में वेतन का

समय पर भुगतान, प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये जोखिम भत्ता, संक्रमण के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा और कोविड ड्यूटी पर सभी के लिए उचित सुरक्षा उपकरणों की मांगें शामिल की गईं।

अधिकांश राज्यों में, पहले दिन योजना श्रमिकों ने प्रदर्शन किए और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और दूसरे दिन, उन्होंने गांव स्तर पर प्रदर्शन किए।

इस संघर्ष को मीडिया के एक बड़े हिस्से से समर्थन और प्रचार मिला। भाजपा की एनडीए सरकार की जनविरोधी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा समर्थित 9 अगस्त, 2020 को देशव्यापी जेल भरो/सत्याग्रह में बड़ी संख्या में योजना श्रमिक शामिल हुए।

सीटू ने मांग की कि सरकार को फ्रंटलाइन स्कीम वर्कर्स को सुरक्षा उपकरण तत्काल उपलब्ध कराने चाहिए और इन्हें जोखिम भत्ता देने के साथ – साथ बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाली की योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए। स्कीम वर्कर्स फेडरेशनों और यूनियनों का राष्ट्रीय मंच वर्कर्स के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।

एक दशक से अधिक समय से स्कीम वर्कर्स आईसीडीएस, एनएचएम और मिड डे मील जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को स्थायी बनाने, इनके लिए पर्याप्त बजट आवंटन और स्वास्थ्य (अस्पतालों सहित), पोषण (आईसीडीएस और एमडीएमएस सहित) और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के निजीकरण के प्रस्तावों को वापस लेने और योजना श्रमिकों के नियमितीकरण, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के के अनुसार इन्हें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रति माह और पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह देने जैसी बुनियादी मांगों करते हुए संघर्षरत हैं।

याद रहे कि सीआईटीयू की पहलकदमी से ही विभिन्न स्कीम वर्कर्स संगठनों के बीच समन्वय बना और अब यह एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके तहत स्कीम वर्कर्स की विशाल प्रदर्शन देखने को मिले हैं – जैसे

–2012 में सीटू द्वारा आयोजित स्कीम वर्कर्स के महापड़ाव के परिणामस्वरूप 2013 में 45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में स्कीम वर्कर्स से संबंधित सिफारिशें हुईं।

– योजना श्रमिकों की अखिल भारतीय हड़ताल पहली बार जनवरी 2017 में सीटू की पहलकदमी से की गई थी और इसे एक संयुक्त मंच के रूप में विकसित किया गया था और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा नई दिल्ली में तीन दिवसीय महापड़ाव के अंतिम दिन जंतर मंतर पर एक लाख से अधिक योजना श्रमिकों की लामबंदी हुई थी।

–जनवरी 2018 में योजना श्रमिकों की संयुक्त हड़ताल में देश के हर जिले में महिला श्रमिकों की सबसे बड़ी लामबंदियों में से एक थी।

जनता द्वारा समाज के लिए उनके योगदान की पहचान प्राप्त करने के अलावा, ये संघर्ष मोदी सरकार को योजनाओं को बंद करने या निजीकरण को रोकने और केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी अपनी कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए मजबूर करने के लिए थे।

'कामकाजी महिला'

त्रैमासिक पत्रिका की प्रतियां खरीदने के लिए संपर्क करें , एक प्रति – 5 रू, वार्षिक – 20रू, आप चैक या डीडी ––सेंटर ऑफ टेड यूनियनस् के नाम से निम्न पते पर भुगतान कर सकते हैं।

हमारा पताः *संपादिका, कामकाजी महिला,*
13 – ए, राउज़ ऐवेन्यु, नई दिल्ली – 110002; फोनः 011–23221306 फैक्स–23221284
ईमेलः ***aiccww@yahoo.com***

आपके पत्र व रचनाएं भी पोस्ट, फैक्स या ईमेल से उपरोक्त पते पर भेज सकते हैंः

योजना श्रमिकों की अखिल भारतीय हड़ताल

असम

बिहार

हरियाणा

झाड़खंड

महाराष्ट्र

पंजाब

मध्यप्रदेश

उत्तराखंड

देशव्यापी जेल भरो आंदोलन की झलकियां

9 vxLr 2020

दिल्ली व केंद्र

हिमाचल प्रदेश

हरियाणा

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

त्रिपुरा

महाराष्ट्र

कॉमरेड मामोनी दत्ता अमर रहें।

सीटू, असम राज्य की वयोवृद्ध नेता कॉमरेड मामोनी दत्ता के आकस्मिक निधन पर शोक और दुःख व्यक्त करता है। 5 अगस्त को डिबरूगढ़ के एक अस्पताल में कोविड –19 के इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

वह 1966–69 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नामरूप इकाई में एक कर्मचारी के रूप में शामिल हुईं। वह 1994–95 में सीटू की राज्य समिति की सदस्य बनीं। वह 1980 के दशक में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति से जुड़ी थीं।

कामरेड मामोनी दत्ता ने असम में कामकाजी महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया और एक लंबी अवधि के लिए कामकाजी महिलाओं (सीटू) और अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की राज्य समन्वय समिति की संयोजक थीं। वह सीटू की पदाधिकारी थीं। वह महिला श्रमिकों के समान अधिकारों की कट्टर रक्षक थीं। जब वह संगठित क्षेत्र के कामगारों की नेता थीं, तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित किया था, जिनमें राज्य में मिड डे मील वर्कर भी शामिल थे।

उनका निधन असम में रूप से ट्रेड यूनियन आंदोलन और कामकाजी महिलाओं के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम दिवंगत नेत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार, को हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं।

कामरेड श्यामल चक्रवर्ती अमर रहें।

ट्रेड यूनियन आंदोलन के दिग्गज नेता और सीटू के नेता कामरेड श्यामल चक्रवर्ती के निधन से सीटू को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने 6 अगस्त 2020 को अंतिम सांस ली। वह 77 वर्ष के थे।

वह अपने शुरुआती मध्य अर्द्धशतक के दौरान छात्र आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए। वह एसएफआई के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मजदूर वर्ग के आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। वह बिजली, सड़क परिवहन, बंदरगाह और गोदी आदि जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सक्रिय रूप से जुड़े थे और संबंधित अखिल भारतीय यूनियनों के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में थे।

उन्होंने लगभग दो दशकों तक पश्चिम बंगाल सीटू को राज्य सीटू के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। वह 1991 से 2020 तक सीटू के राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य थे। राज्य में सभी ट्रेड यूनियनों और लोगों के मुद्दों पर जन संगठनों के संयुक्त आंदोलन के निर्माण में उनकी पहल और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

कॉमरेड श्यामल चक्रवर्ती चार बार विधायक चुने गए और दो बार राज्य में वाम मोर्चे की सरकार में परिवहन मंत्री रहे। वह 2008–2014 के दौरान राज्य सभा के सदस्य थे। वह एक लोकप्रिय लेखक और विपुल लेखक थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की संख्या लिखी थी।

हम उनकी संतप्त बेटी उषासी और परिवार के अन्य सदस्यों और अन्य साथियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते है।

आईफा के ललकार दिवस की चुनौती

कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के चलते बढ़ती भुखमरी और कुपोषण के दोहरे खतरे के, खिलाफ लड़ाई में दिखाई पड़ने वाला फ्रंटलाइन वर्करों का महत्वपूर्ण तबका है–वे तमाम महिलायें जिन्हें न तो मजदूर की मान्यता प्राप्त है और ना ही उनके साथ सही बर्ताव किया जाता है।

भारत में आंगनवाड़ी, आशा व मिड–डे मील की योजनाओं की वर्कर तब अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, मर रही हैं जब भारत का मध्य वर्ग 'वर्क फ्रॉम होम', ऑनलाइन मीटिंग्स, क्लीन एअर, क्लीन रिवर्स यानी साफ हवा व साफ नदियों का मजा ले रहा हैः तथा भारत का शासक वर्ग सरकारें गिराने और देश की सम्पदा व संप्रभुता को बेचने में व्यस्त है। उस दिन जब कारपोरेट मीडिया, इन वर्करों के लिए दिये जलवाने व ताली, थाली बजाने वाले महान प्रधानमंत्री और हमारे देश में पैदा की गई धन–सम्पदा को निवेश के नाम पर खरीदने वाले कारपोरेट के सी ई ओ के बीच संवाद का उत्सव मना रहा था; कि कैसे महानायक संक्रमित होने के बाद सोया, नाश्ता लिया आदि दिखा रहा था, तक उत्तर प्रदेश में एक आंगनवाडी वर्कर ने जिसे पिछले एक वर्ष से वेतन नही मिला था आत्महत्या करने की कोशिश के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था, ओडिशा के सनाखेमुंडी ब्लॉक की आंगनवाडी वर्कर जो कोविड–ड्यूटी में लगी थी, का शव कई घंटो तक कूड़ा डालने वाली जगह पर पड़ा रहा और उसकी बेटी असहाय माँ के शव के साथ बैठी रही।

इसी समय हजारों आंगनवाड़ी कर्मी व सहायक लाल पोषक पहने व लाल मास्क लगाये सड़कों पर उतर माँग कर रही थी कि उन्हें सुरक्षा व वेतन का हक मिले और देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को जीने का हक मिले।

परियोजना वर्कर्स–

10 लाख आंगनवाडी वर्कर्स घर–घर जा कर सर्वे कर रही है, क्वारंटीन केन्द्रों में लोगों को शिक्षित कर रही हैं उनकी देखभाल कर रही हैं, 26 लाख आंगनवाडी कर्मचारी आशा वर्करों के साथ लाभान्वितों को घर–घर जाकर राशन वितरण करने के साथ ऐसा ही कार्य कर रही है; 27 लाख मिड–डे मील कर्मी घर–घर जाकर स्कूली बच्चों को राशन की आपूर्ति कर रही हैं; कम्युनिटी केंद्रो व क्वारंटीन केंद्रों मे ड्यूटी कर रही हैं, अन्य वर्कर–108 एम्बुलेंस वर्करों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वर्कर जमीनी स्तर पर समुदाय के बीच अपनी व परिवार की जान जोखिम में डाल कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिकतर को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण यहाँ तक कि सेनेटाइजर व मास्क भी उपलब्ध नहीं कराये गये है। इनमें से कईयों को कोरोना का वाहक बता कर उन पर हमले किये गये है। उनके कोरोना से सक्रंमित हो जाने के ढ़ेरों मामले है जिसके बाद उन्हें उचित इलाज व देखभाल नहीं मिली और वे कोरोना से मर रही हैं। कितने ही मामलों में तो उन्हें सरकार द्वारा इतना शोर–शराबा कर घोषित की गई बीमा राशि तक नही मिल पा रही। बीमा न होने की स्थिति में कोरोना से पीड़ित होने पर अस्पताल व क्वारंटीन होने का सारा खर्च उन्हें स्वयं ही उठाना पड़ रहा है। अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता प्राप्त नही है। उन्हें वेतन तक समय पर नही मिलता, घर किराये व अन्य भत्तों की बात तो छोड़ ही दे।

बढ़ता कुपोषण बिगड़ता स्वास्थ्य तथा आइ.सी.डी. एस. पर हमला

लॉकडाउन और महामारी के विरुद्व लड़ाई के लगभग 4 महीने हो चुके हैं मगर देश में संक्रमण और मृत्यु के मामले चिंताजनक ढंग से बढ़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि सरकार ने इस दौरान स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे या सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया है जिसके लिए उसने लॉकडाउन घोषित किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केवल 15,000 करोड़ का आंवटन किया गया जबकि इसी दौरान सरकार ने नीरव मोदी व विजय माल्या समेत 50 लोगों पर 68,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। स्वास्थ्य का समूचा बजट केवल 69000 करोड़ रुपये है और 8 करोड़ बच्चों 2 करोड़ माँओं, तथा 26 लाख आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों के लिए आइ सी डी एस का कुल बजट केवल 15 से 18 हजार करोड़ रुपये का है। जहाँ इस दौरान 40 करोड़ भारतीय पहले से भी गरीब हो गये है मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति को लगभग दोगुना कर लिया है और वह दुनिया के अमीरों की सूची में छठे स्थान पर पहुँच गया है।

अब यूनीसेफ की एक रिर्पोट आई है कि चूंकि स्कूल व आंगनवाडी बंद हैं और बच्चों को दोपहर का भोजन भी नहीं परोसा जा रहा है जिस कारण आने वाले दिनों में कुपोषण कई गुना बढ़ जायेगा। रिर्पोट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 6 महीनों में 5 वर्ष से कम उम्र के और तीन लाख बच्चे देश में गरीबी व कुपोषण के कारण मर जायेंगे। लॉकडाउन होने के बाद से आइ सी डी एस ताजा गरम पका खाना नहीं दे रहा है। सूखे राशन की प्रति बच्चे को दी जाने वाली मात्रा इतनी कम है कि उससे बच्चे को प्रतिदिन के हिसाब से जरुरी पोषण नहीं मिल सकता है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाडी वर्कर्स एंड हैल्पर्स (सीटू) माँग कर रही है कि राशन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार किया जाये। लेकिन सरकार न तो आइ

सी डी एस का आंवटन बढ़ाने के लिए तैयार है और न ही बुनियादी सुविधाओं को। इसके उलट, लॉकडाउन का फायदा उठाकर वह नगद हस्तांतरण को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें खाद्यान्न के स्थान पर कैश ट्रांसफर का प्रयास कर रही है। मोदी सरकार आइ सी डी एस में पहले ही सीधे नगद हस्तांरण (डी बी टी) का प्रस्ताव कर चुकी है और यूपी व राजस्थान में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरु किये गये हैं। यहाँ तक कि राशन जो हर एक बच्चे व माँ का हक है, वह भी उचित रुप से प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रतिरोध का निर्माण

हाल ही में मीडिया में सहानुभूति व धर्माथ कार्य के लिए गरीब महिलाओं व गरीब प्रवासी मजदूरों से संबधित कहानियां सामने आयी। इन कहानियों में जो नहीं है वह यह कि इनमें इन मजदूरों के हकों की बात कंही नहीं है। परियोजना वर्कर्रों व संबधित मुद्दों के बारे मे मत्वपूर्ण सवाल, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के बारे में इन मजदूरों के अधिकार का है। इन रिपोर्ट में सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के मजदूरों के अधिकारों की बात पूरी तरह से गायब है परियोजना कर्मी कोविड से लड़ने के साथ ही कुपोषण, भयानक गरीबी व भुखमरी से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में, वे ड्यूटी के साथ ही जरुरत मन्दो के बीच भोजन, सेनिटाइजर मास्क इत्यादि बांटने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही हैं और अपने हकों की लड़ाई के लिए भी अगली कतार में है।

21 अप्रैल, 2020 को 'भाषण नहीं राशन चाहिये' के नारे के साथ शुरू किये आंदोलन के साथ ही कोविड 19 के फ्रंटलाइन वर्कर्रों की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर 14 मई के 'फूल नहीं सुरक्षा चाहिये' के जनता का भारी समर्थन पाने वाले आन्दोलन–समेत सीटू इस दौर में अच्छी भागीदारी व नवाचारी संधर्षों को संगठित करने में अगली कतार में रहा।

कई सारे राज्यों में आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्रों की हड़तालें व जुझारू संघर्ष हुए जिनमें अतिरिक्त पारिश्रमिक व अस्पताल में भर्ती जैसी उनकी कुछ मांगों को मानने के लिए प्रशासन को विवश किया गया। 25 जून, 2020 को सारे देश में आशा वर्कर्रों ने, सीटू की ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स के आह्वान पर देशभर में जुझारू प्रदर्शन करते हुए माँग दिवस मनाया। 26 जून, 2020 को सीटू की मिड–डे–मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में मिड–डे–मील वर्कर्रों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। सबसे गरीब व सामाजिक रूप से हाशिये पर पड़े मिड–डे–मील वर्कर्स को मात्र एक हजार रूपये महीने का वेतन सरकार ने यह कहते हुए दो महीने से नहीं दिया है कि गर्मी में दो महीने की छुट्टियों में वे वेतन के हकदार नहीं हैं।

ललकार दिवस– भारी समर्थन

इस पृष्ठभूमि में आईफा ने प्रतिवर्ष सबसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाते हुए मनाये जाने वाले माँग दिवस को ललकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर सरकार को चुनौती दी जिसने शोषण के दरवाज़े तो खोल दिये परन्तु लोकतंत्र की तालाबंदी कर दी। आईफा ने ललकार दिवस में 'तीन लाख बच्चों को मरने मत दो' के नारे के साथ आई सी डी एस की मजबूती की माँग उठाई। संघर्ष की अगली कतार में रहकर आईफा ने प्रोजेक्ट स्तर पर लाल पोशाक व लाल मास्क में जुझारू कार्रवाईयां करने का निर्णय किया।

इसी तरह ललकार दिवस मनाने के लिए कोई 2 लाख आगंनवाडी वर्कर्रों, जिनमें से ज्यादातर ने लाल पोशाक व लाल मास्क लगा रखे थे, 10 जुलाई 2020 को 22 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पॉडिचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के 23,000 केन्दों पर प्रदर्शन किये व स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और महिला व बाल कल्याण मंत्री को ज्ञापन दिये तथा कोविड–19 ड्यूटी के लिए सुरक्षा उपकरणों, बीमा, जोखिम भत्ते, मजदूर के रुप में मान्यता, न्यूनतम वेतन, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा तथा सबसे महत्वपूर्ण आई सी डी एस के लिए विशेषकर पोषण के लिए आंवटन को बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक में तीन दिवसीय विरोध की शुरुआत 13 जुलाई को हुई। आईफा ने इस कार्यक्रम की शानदार सफलता के लिए सभी राज्य इकाईयों व सभी आंगनवाडी वर्कर्रों एंव हैल्परों को बधाई दी।

इस विरोध कार्यक्रम की एकजुटता में, नई दिल्ली स्थित सीटू केन्द्र में सीटू के राष्ट्रीय नेतागण अध्यक्ष हेमलता, महासचिव तपन सेन, एम एल मलकोटिया, एस देवरॉय, जे एस मजुमदार आईफा की महासचिव ए आर सिंधु व कोषाध्यक्ष अंजू मैनी के साथ ललकार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। आईफा की पहल पर, सभी केन्दीय ट्रेड यूनियनों के परियोजना वर्कर्रों के संयुक्त मंच ने प्रतिकार के संघर्ष को तेज करने के लिए 12 सूत्री माँगों को लेकर अगस्त के शुरु में तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का निर्णय किया है। इन मांगो में आई सी डी एस के लिए आंवटन को फौरन दोगुना करने, लाभान्वितों को दिये जाने वाले पोषण की मात्रा व गुणवत्ता को बढ़ाने, आंगनवाडी वर्कर्रों एंव हैल्परों को 'मजदूर' के रुप में मान्यता, वर्कर्रों को 30,000 रुपये महीना व हैल्परों को 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन, मिनी वर्कर्स को समान वेतन, 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरुप पेंशन, ई एस आई, पी एफ आदि प्रदान किये जाने, सभी

आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों को विशेषकर हैल्थ सैक्टर में काम करने वाले वर्करों व हैल्परों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने, कंटेनमैंट जोन्स व रेड जोन्स में काम करने वाले वर्करों व हैल्परों को पी पी ई प्रदान किये जाने, सभी फ्रंट लाइन वर्करों को जल्दी–जल्दी रेंडम व मुक्त कोविड जाँच की सुविधा, ड्यूटी के दौरान हुई सभी मौतों को शामिल करते हुए सभी फ्रंटलाइन वर्करों को 50 लाख का बीमा कवर, कोविड ग्रस्त होने पर उनके समूचे परिवार के लिए कोरोना उपचार, तथा आवश्यक बजट आंवटन के साथ ही आई सी डी एस को स्थायी करने की मांगे शामिल थी। इसके साथ ही इसमें किसी भी रुप में योजना का निजीकरण न करने, आई सी डी एस में नकदी हस्तांतरण न करने, सभी मिनी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों में बदलने, कोविड ड्यूटी में लगी सभी आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों को प्रतिमाह 25,000 रुपये के अतिरिक्त जोखिम भत्ता, बकायों का तुरन्त भुगतान, ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाने वालों को 10 लाख का मुआवजा, आंगनवाड़ियों में ई सी सी ई की मजबूती; सभी के लिए भोजन,स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, रोज़गार, बसेरा आदि सुनिश्चित करने, काम के घंटो को 8 से बढ़ाकर 12 न करने, श्रम कानून को फ्रीज न करने, पी एस ई व सेवाओं का निजीकरण न किये जाने, कृषि व्यापार एंव ई सी ए पर लाये गये अध्यादेशों को तुरन्त वापिस लेने की माँगे भी शामिल थी।

सेंटर

तमिलनाडु

महाराष्ट्र

RNI No. DELHIN/2012/49900.

आईफा मांग दिवस

10 जुलाई 2020

के हेमलता द्वारा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित

सम्पादिका : ए आर सिंधु